तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
27/12/19	पत्रावली पेश हुई बमुलाहिजा वकील प्रतिवादी सं० 1 ता 3 ने दस्तावेज हुजी मय फेहरिस्त पेश किये। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 31.1.20 को पेश हो। [signature]
31/1/20	पत्रावली पेश हुई बमुलाहिजा उभय पक्षकारान ने बहस हेतु अवसर चाहा न्याय हित में अवसर दिया जाता है। वास्ते बहस मिसल दिनांक 3.2.20 को पेश हो। वकील वादी ने दस्तावेज मय फेहरिस्त मय दस्तावेज किता-1 पेश किया जो शामिल रहे। [signature]
03/2/20	पत्रावली पेश हुई। बहस दावा उभय पक्षकारान अधिवक्तागण की सुनी गयी। दौराने बहस वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वकील वादी ने कथन किया कि कृषि भूमि ख० न० 383 से 393 कुल किता-11 कुल रकबा 11.89 हैं० तन ग्राम कंवरपुरा पटवार हल्का रैयाण तहसील खण्डेला जिला सीकर राजस्थान वादी व प्रतिवादीगण सं० 1 ता 3 व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी व संयुक्त कब्जा काश्त की भूमियां है व इनका बटवारा आज दिन तक नहीं हुआ है। वादग्रस्त भूमियों में से भूमि ख०न० 384 रकबा 1.56 हैं० पुख्ता चाहि अलीफ तन ग्राम कंवरपुरा जो [signature]

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
	ग्राम कंकरपुरा की आबादी से सटाम बेशकीमती भूमि है जिस पर प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 नाजायज रूप से कब्जा करने की गरज से बिना बटवारा कराये निर्माण कार्य किया जा रहा है। तथा दिनांक 25.10.15 को रात्री को प्रतिवादी स0 1 ता 3 प्रतिवादी स0 4 व 5 के कार्यालय से विद्युत पोल लाकर वाद ग्रस्त भूमि ख0 नं0 384 में खड़ा कर दिया। जिसकी जानकारी वादी को दिनांक 26-10-15 को प्रातः काल हुई तो वादी प्रतिवादी स0 4 ता 5 के कार्यालय में गया तथा न्यायालय हाजा के स्टे आदेश दिनांक 20.7.15 मुकदमा दीवानी भगवानाराम बनाम रामपाल वगै0 की नकल मय प्रार्थना पत्र पेश कर विद्युत कनेक्शन नहीं देने बाबत निवेदन किया तो प्रतिवादी न0 4 ने कहा कि हम इस प्रकरण में पक्षकार नहीं है अतः कनेक्शन जारी करेंगे। प्रतिवादीगण बाज कर गैरकानूनी कार्यवाही करने पर आमादा है। अतः प्रतिवादीगण स0 1 ता 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाई कि कृषि भूमि ख0 नं0 384 तक ग्राम कंकरपुरा में अपने व अपने परिवार जन के नाम से (हस्ताक्षर) 3.2.20	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	अहलकार हुक्म के में जा
	विद्युत कनेक्शन नहीं लेवे। तथा प्रतिवादी 4 व 5 को भी स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे की विद्युत कनेक्शन जारी नहीं करे। वकील प्रतिवादीगण 1 ता 3 ने वादी अधिवक्ता के कथनों का जवाब देते हुए कथन किया कि प्रतिवादीगण 1 ता 3 हिस्सा 1/27 के रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार है तथा 1/27 हिस्सा की खातेदारी वादी के नाम दर्ज है शेष हिस्सा 25/27 अन्य खातेदार के नाम दर्ज है। प्रतिवादीगण 1 ता 3 अपने हक हिस्सा पर काबिज काबत करते आ रहे है तथा पुख्ता मकानात बनाकर आबाद है। प्रतिवादीगण ने अपने मकानात में घरेलू कनेक्शन लेने हेतु प्रतिवादी सं० 4 के कार्यालय में विद्युत कनेक्शन आवेदन कर पूर्ण प्रक्रिया अपना कर मौके पर विद्युत कनेक्शन की केबल लगायी जा चुकी है। उसको केवल मीटर लगाना शेष है। जिसको ववकयाने की नियत से वाद पत्र पेश किया है, जो खारीज योग्य है। खारीज फरमाया जावे। हमने बहस उभय पक्षकारान सुनी तथा बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड मय वादी द्वारा प्रस्तुत	

[ता]रीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व ता[रीख] अहकाम जो हुक्म की ता[रीख] में जारी हु[ए]
	दस्तावेज सूची के साथ पेश शुदा दस्तावेज इकरारनामा का अवलोकन किया तथा प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज सूची के साथ पेश दस्तावेज फोटो प्रति दावा उनवानी मगाराम बनाम रामपाल का अवलोकन किया गया। तथा हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वादी ने सहखाते-दारो से विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। सहखातेदारान के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का विधिक प्रावधान नहीं है। कृषि भूमि को बिना रूपान्तरण कराये अकृषि उपयोग में लिया जाना भी विधी द्वारा वर्जित है। अतः प्रतिवादी सं० 1 ता 3 बिना रूपान्तरण कृषि से अकृषि उपयोग नही करे तथा उभय पक्ष विद्युत कनेक्शन बाबत विद्युत विभाग के प्रावधानो के अनुसार कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र है। इसी आशय की डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 3.2.20 (रणजीत सिंह) RAS उपखण्ड अधिकारी खण्डेला (सीकर)	

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खण्डेला मुकाम खण्डेला

बइजलास श्री रणजीत सिंह (आर.ए.एस)

(1) भगवानाराम पुत्र श्री मोतीराम जाति जाट निवासी कंवरपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर राज० (वादी)

बनाम

(1) बनवारी पुत्र भागुराम (2) रामपाल पुत्र भागुराम (3) सुखाराम पुत्र भागुराम समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम ⊕

दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं0 241 सन् 2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री रणजीत सिंह आर.ए.एस व मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री रामेश्वरलाल तेतरवाल श्री सुरेन्द्र शर्मा हाजिरी श्री सज्जाद खान एडवोकेट मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि वादी ने सहखातेदारो के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। सहखातेदारान के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का विधिक प्रावधान नही है। कृषि भूमि को बिना रूपान्तरण कराये अकृषि उपयोग मे लिया जाना भी विधी द्वारा वर्जित है। अत: प्रतिवादी स०१ ता ३ बिना रूपान्तरण कृषि से अकृषि उपयोग नही करे तथा उक्त विद्युत विभाग के प्रावधानो के पक्का विद्युत कनेक्शन बाबत ⊕ — खर्चा निज — मुबलिग — बाबत — इस मुकदमें के मय सूद बशरह — फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक — का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 03 माह 02 सन 20 को जारी की गई।

दस्तखत ...... (हस्ताक्षर) 3.2.20 (रणजीत सिंह RAS) उपखण्ड अधिकारी

ओहदा ...... खण्डेला (सीकर)

मुहर

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner

कुंवरपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर (राज०)

4. सहायक अभियन्ता कार्यालय सहायक अभियन्ता अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड खण्डेला

5. कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय सहायक अभियंता अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड खण्डेला (प्रतिवादीगण)

क के अनुसार कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र है।

3.2.20
(रणजीत सिंह RAS)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डेला (सीकर)

Scanned by CamScanner